

श्रीमान जी. जमानती सं. 2071-74 (सेक्टरियर) ग्राम नाहपुरा खाना नि. 95  
 कैलाश पुत्री अमरा दर्ज है जो नामान्तरण (वितरण) से दर्ज है जबकि सही  
 नाम कैलाशी पुत्री अमरा है अतः कैलाश पुत्री अमरा के स्थान पर  
 कैलारी पुत्री अमरा नाम सही किया जाना उचित होगा।

(Signature) व. अ. नसीराबाद

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमानजी, (पुत्राधिकार शिष्ट परवरी तथा खेतान रक्षण कार्य शकता  
 सं 95 में खातेदार कैलाश के स्थान पर कैलाशी अमरा कर फर्जी  
 किया जाना उचित होगा) (Signature) 19/9/25

प. 80 की रिपोर्ट व भू. अ. 136 की जांच के आधार  
 पर दुस्वर्ग की आशंका की जाती है।  
 (Signature) 19/9/25

2025  
 446

क्रमांक / 155

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

दिनांक: 24/9/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन  
 किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख  
 निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुसंधान अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
 धारा 136 के अनुसारण में ग्राम नाहपुरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2071-74  
 के खाता संख्या 95 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया  
 जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	कैलाश पुत्री अमरा शेख लाल खन्ना	इपरोम खफास. में वणि अमरा		कैलाशी पुत्री अमरा शेख लाल खन्ना	इपरोम खफास. में वणि अमरा	

क्रमांक: - 19/9/25

दिनांक: - 24/9/25

उपस्थित:-

1. तहसीलदार नसीराबाद जो पालना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 2. आदेश प्राप्त की।  
 नसीराबाद, जिला अजमेर